राजस्व अपील संख्या : 28/2025
उनवान : सविता बनाम तहसीलदार सुमेरपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 28/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/125

अपीलाण्ट्स :–

सविता पुत्री शंकरलाल जाति घांची निवासी सुमेरपुर हाल धोरावास तखतगढ़ तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

तहसीलदार सुमेरपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 2806 जो दिनांक 23.08.2024 को जो तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा अस्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।

–:निर्णय:–

दिनांक: 06.10.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **मौजा बांकली तहसील सुमेरपुर के नामान्तरकरण संख्या 2806 दिनांक 23.08.2024 को जो तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा अस्वीकृत किया गया के विरुद्ध पेश की गई।** अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि सरहद मौजा बांकली तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1092, 1098, 1099, 402, 427, 470, 505 कुल खसरा 07 कुल रकबा 20.99 हैक्टेयर कृषि भूमि में अपीलाण्ट के पिता शंकरलाल पुत्र गुलाबराम जाति घांची निवासी बांकली का 1/9 हिस्सा खातेदारी का आया हुआ स्थित रहा है। शंकरलाल जी अपीलाण्ट के पिता थे। जिनकी मृत्यु तारीख 09.09.2023 को ग्राम बांकली तहसील सुमेरपुर में हो गयी है। स्वर्गीय शंकरलाल के पत्नी व माता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। शंकरलाल जी के कोई पुत्र वारिस नहीं है केवल मात्र एक पुत्री प्रार्थीनी ही वारिस रही है। प्रार्थीनी द्वारा अपने पिता की मृत्यु के बाद तारीख 03.11.2023 को रेस्पोडेट तहसीलदार सुमेरपुर को फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया एवं स्वर्गीय शंकरलाल के एक मात्र वारिस अपीलाण्ट होने से उसके नाम का नामान्तरकरण पटवारी हल्का बांकली द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2806 तारीख 15.07.2024 को भरा गया। नामान्तरकरण भरने के बाद पटवारी हल्का का यह कर्तव्य था कि वह उस नामान्तरकरण को भू अभिलेख निरीक्षक से जांच करवाकर ग्राम पंचायत बांकली के बोर्ड की मीटिंग में पेश करते, लेकिन पटवारी हल्का ने ऐसा नही किया और नामान्तरकरण को काफी दिनो तक अपने पास रोकने के बाद रेस्पोडेण्ट तहसीलदार के पास नामान्तरकरण भेजा गया। तहसीलदार सुमेरपुर ने बिना किसी प्रकार की जांच किये नामान्तरकरण संख्या 2806 को तारीख 23.08.2024 को अस्वीकृत कर दिया है। जिसके विरुद्ध उक्त अपील निम्न आधारों पर पेश है।

1. यह कि नामान्तरकरण जैर अपील विधि विरुद्ध तथ्यों के आधारपर अस्वीकृत किया गया है। जो अस्वीकृति का आदेश काबिल खारिज है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 28/2025
उनवान : सविता बनाम तहसीलदार सुमेरपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

2. यह कि स्वर्गीय शंकरलाल पुत्र गुलाबराम घांची निवासी खिवांदी की एक मात्र पुत्री अपीलाण्ट है। एवं अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट के समक्ष उपस्थित होकर अपनी वल्दीयत सही प्रार्थना पत्र पेश किया एवं उसके समर्थन में अपीलाण्ट के पास उपलब्ध पैन कार्ड की फोटो प्रति पेश की साथ ही अपीलाण्ट द्वारा एक शपथपत्र भी पेशकर यह घोषणा की कि अपीलाण्ट शंकरलाल पुत्र गुलाबजी की एक मात्र पुत्री है, उसके अलावा स्वर्गीय शंकरलाल जी के कोई वारिस नही है। उपरोक्त दस्तावेज देखने के बावजुद भी अपीलाण्ट के नाम स्वर्गीय शंकरलाल के वारिस की हैसियत से भरे गये फौतेदगी नामान्तरकरण जैर अपील को खारिज करने में कानूनी एवं वाक्याति भूल की है। जिस कारण नामान्तरकरण जैर अपील के अस्वीकृति के आदेश को खारिज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अपीलाण्ट जो स्वर्गीय शंकरलाल जी पुत्री है एवं अपने ससुराल अपने पति के साथ तखतगढ में निवास करती है। जो फसल बोने व काटने के समय अपने खातेदारी के हिस्से पर आती है। इसकी जानकारी पटवारी हल्का एवं ग्राम पंचायत बोर्ड को रही है। पटवारी हल्का ने इसी आधार पर नामान्तरकरण जैर अपील सही भरा था और उस नामान्तरकरण को अगर ग्राम पंचायत बोर्ड ने पेश किया जाता तो वह अवश्य ही स्वीकृत होता लेकिन उस नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत बोर्ड में पेश नहीं कर तहसीलदार ने बिना किसी आधार अधिकार के अस्वीकृत कर दिया जो तहसीलदार का अस्वीकृत आदेश गलत व गैर कानूनी होने से काबिल खारिज है। नामान्तरकरण के अस्वीकृत करने के पूर्व उसकी जांच कर इसका कोई आधार की टिप्पणी नामान्तरकरण जैर अपील में नही कर कानूनन भूल की है। जिस कारण भी नामान्तरकरण जैर अपील अस्वीकृत करने की टिप्पणी काबिल खारिज है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

3. यह कि नामान्तरकरण जैर अपील अस्वीकृत करने के पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया जिस कारण भी नामान्तरकरण जैर अपील अस्वीकृत किया गया है जो कानून के विरुद्ध होने से काबिल खारिज है।

4. यह कि अपीलाण्ट के पिता शंकरलाल पुत्र गुलाबजी के खातेदारी की अन्य जमीन ग्राम जाखोडा तहसील सुमेरपुर में आयी हुई स्थित है जिस कृपि भूमि के खसरा नम्बर 109/1 रकबा 0.6100 हैक्टर में 1/3 हिस्सा रहा है। जिसका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 2539 दिनांक 15.07.2024 को पटवारी हल्का जाखोडा द्वारा भरा गया, जिसको सरपंच ग्राम पंचायत कोलीवाडा द्वारा तारीख 06.08.2024 को स्वीकृत किया गया। इस प्रकार उस नामान्तरकरण से भी यह साबित है कि अपीलाण्ट स्वर्गीय शंकरलाल पुत्र गुलाबजी घांची की पुत्री है उपरोक्त सबूत के बावजूद नामान्तरकरण जैर अपील संख्या 2806 को रेस्पोडेण्ट द्वारा अस्वीकृत कर दिया गयाहै जो कानूनन अवैध व गलत खारिज किया गया है। जिस नामान्तरकरण को अस्वीकृत करने बाबत कोई आधार भी नही लिखा गया है, को स्वीकृत किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है।

5. यह कि अपीलाण्ट ने राजस्व रिकॉर्ड का कोई अवलोकन नही किया। हाल ही में हुये बरसात के समय अपीलाण्ट अपने ससुराल से अपने पीहर अपने खातेदारी के हिस्से की भूमि पर खेती करने गयी तब पटवारी हल्का से अपने खातेदारी की जानकारी प्राप्त की तो पटवारी हल्का ने बताया कि अपीलाण्ट के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 2806 द्वारा नहीं हटाया गया है। इस पर अपीलाण्ट ने नामान्तरकरण संख्या 2806 की नकल की मांग की तो पटवारी हल्का ने जाहिर किया कि नामान्तरकरण की प्रति ऑनलाईन उपलब्ध होने से वहा से प्राप्त करे,इस पर अपीलाण्ट द्वारा नामान्तरकरण जैर अपील की ऑनलाईन प्रति प्राप्त की और उसके अवलोकन से रेस्पोडेण्ट द्वारा नामान्तरकरण अस्वीकृत किये जाने की जानकारी हुई जिसकी जानकारी होते ही बिना किसी देरी के उपरोक्त अपील तैयार करवाकर पेश की जा रही है अपील को देरी से पेश किये जाने के डिले को कण्डोन करने हेतु अलग से प्रार्थनाा पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जा रहा है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 28/2025
उनवान : सविता बनाम तहसीलदार सुमेरपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

6. यह कि नामान्तरकरण जैर अपील को अस्वीकृत तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा किये जाने से उपरोक्त अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है।

अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्ट के पिता के फौतेदगी नामान्तरकरण को अस्वीकृति आदेश को खारिज किया जाकर अपील के नाम फौतेदगी नामान्तरकण को स्वीकृत किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रकरण से सम्बन्धित प्रमाणित रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय से तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

रेस्पोडेण्ट तहसीलदार सुमेरपुर बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अपीलार्थीपक्ष की एकतरफा बहस सुनने का निश्चय किया गया। काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक़्त बहस निवेदन किया कि तहसीलदार सुमेरपुर ने पटवारी हल्का बांकली द्वारा दर्ज नामान्तरकरण संख्या 2806 को बिना किसी आधार एवं विश्लेषण के मनमाने ढंग से अस्वीकृत कर कानूनी भूल कारित की है। किसी खातेदार की मृत्यु उपरान्त उसके वैध वारिसों का इन्द्राज कर रिकॉर्ड अद्यतन करना भूमिधारी का दायित्व है, किन्तु अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना तथा मनमाने ढंग से पिता स्व. शंकरलाल का फौतेदगी नामान्तरकरण खारिज कर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा जो अवैध कार्यवाही की गई है, उसे अपास्त कर प्रकरण पुनर्प्रेषित किया जाए।

अपीलार्थी द्वारा हस्तगत नामान्तरकरण अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर आलोच्य नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी ऑनलाईन नकल प्राप्त करने पर होने तथा देरी का उपशमन करने का निवेदन किया गया।

रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलार्थीपक्ष के उक्त मियाद प्रार्थना पत्र के खण्डन हेतु कोई तर्क अथवा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर कोई प्रतिकूल उपधारणा की जा सके। अतः मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित सशपथ कथनों को प्रमाणित मानने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा देरी का उपशमन करते हुए विचाराधीन नामान्तरकरण अपील को मियादशुमार घोषित किया जाता है।

प्रकरण का मज़मून इस प्रकार है कि श्री शंकरलाल पुत्र श्री गुलाबजी की दिनांक 09.09.2023 को मृत्यू (सलंग्न मृत्यू प्रमाण पत्र अनुसार) होने पर अपीलार्थीया द्वारा एक आवेदन तहसीलदार सुमेरपुर को दिनांक 03.11.2023 को मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील मीमों में अंकित कृषि भूमि कुल खसरा सात रकबा 20.99 हैक्टेयर ग्राम बांकली का नामान्तरकरण स्व. शंकरलाल की मृत्यू उपरान्त उनकी जायन्दा पुत्री एवं एकमात्र विधिक वारिस होने के नाते अपीलार्थीया के पक्ष में दर्ज करने का निवेदन किया गया। उक्त आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं लगभग आठ माह बाद हल्का पटवारी बांकली द्वारा जैर अपील कृषि आराजी का फौतगी नामान्तरकरण संख्या 2806 दिनांक 15.07.2024 को अपीलार्थीया के पक्ष में दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरकरण नियत अवधि में ग्राम पंचायत द्वारा निर्णीत नहीं होने पर तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष वास्ते आदेशार्थ प्रस्तुत हुआ एवं तहसीलदार सुमेरपुर ने दिनांक 23.08.2024 को 'अस्वीकृत' की टिप्पणी मात्र कर उक्त नामान्तरकरण को खारिज कर दिया। तहसीलदार द्वारा अस्वीकृति का न तो कोई कारण या आधार अंकित किया है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित प्रमाणित रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 2806 को अस्वीकृत करने से पूर्व अपीलार्थीया को सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। जबकि स्व. शंकरलाल पुत्र गुलाबजी की अन्य कृषि आराजी खसरा संख्या 109/1 मौजा जाखोडा का विरासत का नामान्तरकरण संख्या 2539 दिनांक 08.06.2024 को अपीलाण्ट के पक्ष में दर्ज हो चुका था।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 2806 को अस्वीकृत करने का आदेश न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना में पारित आदेश था अपितु यह Non- Speaking तथा मनमाना आदेश भी था एवं ऐसा Non-Speaking आदेश विधिसम्मत आदेश की परिभाषा में शामिल नहीं माना जा सकता।

अतः हस्तगत नामान्तरकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2806 पटवार क्षेत्र बांकली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 28/2025

उनवान : सविता बनाम तहसीलदार सुमेरपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

को अस्वीकृत करने सम्बन्धि आदेश दिनांक 23.08.2024 को निरस्त किया जाता है। साथ ही, प्रकरण तहसीलदार सुमेरपुर को पुनर्प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि मौजा बांकली में स्व. शंकरलाल पुत्र गुलाबजी घांची के हिस्से की कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थीया के नाम स्वीकृत कर निर्णय प्राप्ति के एकमाह के भीतर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (पाली)